रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3384] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 16, 2019/आश्विन 24, 1941
No. 3384] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 16, 2019/ASVINA 24, 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3722(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा (6) की उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित लिखतों को ऋण लिखतों के रूप में अवधारित करती है, अर्थात् :—

(i) सरकारी बंध पत्र ;

(ii) कारपोरेट बंध पत्र ;

(iii) प्रतिभूतिकरण संरचना के ऐसे सभी अंश, जो साम्या के अंश नहीं हैं ;

(iv) भारतीय फर्मों द्वारा ऋणों के माध्यम से ली गईं उधारें ;

(v) निक्षेपागार प्राप्तियां, जिनकी अंतर्निहित प्रतिभूतियां ऋण प्रतिभूतियां हैं ।

2. नीचे विनिर्दिष्ट लिखतों को गैर-ऋण लिखतों के रूप में माना जाएगा, अर्थात् :—

(i) निगमित अस्तित्वों (लोक, निजी, सूचीबद्ध और असूचीबद्ध) के साधारण शेयर में सभी विनिधान ;

(ii) सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) में पूंजीगत भागीदारी ;

(iii) समय-समय पर यथा अधिसूचित विदेशी विनिधान नीति में यथा मान्यताप्राप्त विनिधान की सभी लिखतें ;

(iv) वैकल्पिक विनिधान निधि (एआईएफ) और भू-संपदा विनिधान न्यास (आरईआईटी) तथा अवसंरचना विनिधान न्यास (आईएनवीआईटी) की यूनिटों में विनिधान ;

(v) पारस्परिक निधियों और विनिमय व्यापारीकृत निधियों (ईटीएफ), जो साधारण शेयर में पचास प्रतिशत से अधिक विनिधान करती हैं, की यूनिटों में विनिधान ;

(vi) प्रतिभूतिकरण संरचना का सबसे कनिष्ठतम स्तर (अर्थात् साधारण शेयर अंश) ;

(vii) स्थावर संपत्ति का अर्जन, विक्रय या प्रत्यक्षतः व्यौहार ;

(viii) न्यासों में अभिदाय ;

(ix) साधारण शेयर लिखतों के प्रति जारी की गई निक्षेपागार प्राप्तियां ।

3. ऐसी सभी अन्य लिखतें, जो उपरोक्त पैरा (1) और पैरा (2) में विनिर्दिष्ट नहीं हैं, ऋण लिखतों के रूप में मानी जाएंगी ।

[फा. सं. 1/14/ईएम/2015]

आनन्द मोहन बजाज, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2019

S.O. 3722(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 6 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Central Government hereby determines the following instruments as debt instruments, namely:—

(i) Government bonds;

(ii) corporate bonds;

(iii) all tranches of securitisation structure which are not equity tranche;

(iv) borrowings by Indian firms through loans;

(v) depository receipts whose underlying securities are debt securities.

2. Instruments specified below shall be considered as non-debt instruments, namely:-

(i) all investments in equity in incorporated entities (public, private, listed and unlisted);

(ii) capital participation in Limited Liability Partnerships (LLPs);

(iii) all instruments of investment as recognised in the FDI policy as notified from time to time;

(iv) investment in units of Alternative Investment Funds (AIFs) and Real Estate Investment Trust (REITs) and Infrastructure Investment Trusts (InVITs);

(v) investment in units of mutual funds and Exchange-Traded Fund (ETFs) which invest more than fifty per cent in equity;

(vi) the junior-most layer (i.e. equity tranche) of securitisation structure;

(vii) acquisition, sale or dealing directly in immovable property;

(viii) contribution to trusts;

(ix) depository receipts issued against equity instruments.

3. All other instruments which are not specified in paragraphs (1) and (2) above, shall be deemed as debt instruments.

[F.No. l/14/EM/2015]

ANAND MOHAN BAJAJ, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.